कार्यालय नियंत्रक
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145
जिला– ऊधमसिंह नगर, (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : वि0नि0 / बजट / 281 / 608 दिनांक : 30/06/2016

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी द्वारा किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून में स्थित आवासीय कक्षों हेतु दिनांक 01.07.2016 से निम्नानुसार किराया निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

क्रम सं0	श्रेणी	निर्धारित किराया
1.	नियमित कार्मिक द्वारा विश्वविद्यालय कार्य से विभागीय यात्रा	₹ 100.00 प्रति कार्मिक, प्रतिदिन
2.	नियमित कार्मिक द्वारा निजी कार्य से यात्रा	₹ 1000.00 प्रति कार्मिक, प्रतिदिन
3.	विश्वविद्यालय से इतर अन्य विभागों / कार्यालयों के कार्मिकों के लिए	₹ 1200.00 प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन

किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून के आवासीय कक्षों के आवंटन के सम्बन्ध में निम्न शर्तें एवं प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :–

1. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 02 एवं 03 श्रेणी के कार्मिक को उसी दशा में आवासीय कक्ष अनुमन्य कराया जा सकता है जबकि विश्वविद्यालय कार्य से किसी कार्मिक को कक्ष आवंटित न किया गया हो अर्थात कक्ष रिक्त हो।
2. किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून के आवासीय कक्षों का आवंटन निदेशक, प्रसार शिक्षा स्तर से किया जायेगा।
3. किसी भी बाहरी व्यक्ति को कक्ष का आवंटन तब तक न किया जाय, जब तक ऐसे व्यक्ति को ठहरने की अनुमति सक्षम स्तर से प्रदान न की गयी हो। यदि बिना अनुमति से विश्वविद्यालय के केन्द्र में कोई बाहरी व्यक्ति आवासित पाया जायेगा, तो उस स्थिति में जनसम्पर्क अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी विश्वविद्यालय कार्मिक द्वारा अपने नाम से कक्ष आरक्षण कराने के उपरांत किसी अन्य व्यक्ति को ठहरने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो कार्मिक के इस कार्य को अनुचित मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय के जो भी कार्मिक देहरादून में विभिन्न बैठकों अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय कार्य प्रयोजन से जाते हैं, उनके द्वारा वाहन इन्डेंट / सक्षम स्तर से यात्रा की स्वीकृति के साथ ही साथ कक्ष आरक्षण की स्वीकृति निदेशालय से प्राप्त की जानी होगी।
6. यदि अपरिहार्य स्थिति में कक्ष आरक्षण की पूर्व स्वीकृति नहीं प्राप्त की जा सकी है, तो उस स्थिति में जनसम्पर्क अधिकारी, किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून के द्वारा निदेशक, प्रसार शिक्षा से उक्त आरक्षण के सम्बन्ध में स्वीकृति ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

...........2

7. जनसम्पर्क अधिकारी, किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून के द्वारा आवंटित आवासीय कक्षों के सम्बन्ध में एक पंजिका केन्द्र में अभिरक्षित की जायेगी, जिसमें आवासीय भवन में ठहरने वाले कार्मिक/व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें कार्मिक/व्यक्ति का नाम, पदनाम, आने का उद्देश्य, ठहराव की अवधि, मोबाईल नम्बर तथा अन्य आवश्यक सूचनाऐं स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। विश्वविद्यालय से इतर कार्मिकों/व्यक्तियों के सम्बन्ध में पहचान पत्र की छायाप्रति को अभिलेख के रूप में अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून का यह दायित्व होगा कि वह दिन–प्रतिदिन कक्ष आरक्षण की वास्तविक स्थिति से निदेशक, प्रसार शिक्षा को ई–मेल के माध्यम से अवगत करायेंगे। इसके साथ ही साथ आरक्षण शुल्क के रूप में जो भी धनराशि प्राप्त होगी, उसे निर्देशित बैंक खाते में जमा करते हुए निदेशक, प्रसार शिक्षा को अवगत करायेंगे।
9. आवासीय कक्ष आवंटन में विश्वविद्यालय कार्य को ही वरीयता दी जायेगी। यदि कोई विश्वविद्यालय कार्मिक निजी कार्य से देहरादून जाता है, तो उसे उसी दशा में आवासीय कक्ष आरक्षित किया जा सकेगा जबकि वह कक्ष पूर्व आरक्षित न किया गया हो। यदि कोई विश्वविद्यालय कार्मिक विश्वविद्यालय कार्य से देहरादून स्थित उक्त केन्द्र में ठहरना चाहता है, तो उस स्थिति में निजी कार्य हेतु कक्ष आरक्षण समाप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र, देहरादून।
3. उप नियंत्रक, बजट/संस्थापना/फार्म।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, किसान सूचना एवं सेवा केन्द्र देहरादून।
5. प्रसार शिक्षा निदेशालय।
6. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

नियंत्रक